

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प ~~राजसमन्द~~

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~राजसमन्द~~
व भू.अ.नि. ~~प.प.मे.न.~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~रेलमरा~~ / नायब
तहसीलदार ~~प.प.मे.न.~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~राजसमन्द~~ तहसील ~~रेलमरा~~ व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् ~~2077~~ में खाता संख्या ~~26~~ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	राजसमन्द	26	पारी	पारस डेवी

~~6/~~
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक:- १५०

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 9/10/25

1. तहसीलदार ~~रेलमरा~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ~~राजसमन्द~~ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

~~6/~~
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर